...in Published in Delhi ... NATIONAL CAPITAL TERRITORY O

924C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245153
SG-DL-E-13042023-245153

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 17
No. 129]	DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945	[N. C. T. D. No. 17

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सं. फा. 9/104/2019/गृह(सा.)/965–971.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 10 मार्च 2008 की 'अधिसूचना सं0 सं.फा. 9/47/2002/गृ0सा0/(i)/948 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **"स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)**, पद हेतु निम्नानुसार भर्ती नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को दिल्ली कारागार, **स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)**, भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्तपदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**– इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूचो

1.	**पदनाम**	:	**स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)**
2.	**पदों की संख्या**	:	18*(2022) *कुल स्वीकृत पदो (58) का 30%
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह ''ग'' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2, 19900–63200/–रुपये
5.	**क्या चयन मैरिट से अथवा चयन सह वरिष्ठता अथवा गैर चयन पद है**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा आदेश के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीपः**– आयु सीमा निर्धारण हेतु अंतिम तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होती है तो आयु सीमा 18–27 वर्ष होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः**– (i) हल्के मोटर वाहनों का वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना, (ii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में छोटी विकृतिओं को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, (iii) मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव तथा (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। **वांछनीयः–** होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा। **टीप 1:–** अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है **टीप 2:–** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के

90/C

			अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित. रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः–** दिल्ली कारागार विभाग में (वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 में, 18000–56900 रूपये) नियमित कर्मचारियों, कार्यालय जिसमें रिक्तियां हुई हैं में हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले (भूतपर्व समूह 'ग') में से। परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित उपयुक्त मानक का ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति तथा स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव /सचिव (ऊर्जा)– अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप–सचिव (वित्त) –सदस्य टीप :– विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा यदि अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है तो।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

No. F. 9/104/2019/Home(G)/965-971.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/47/2002/HG/(i)/948 dated 10th March, 2008, except respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make recruitment rules for the post of **STAFF CAR DRIVER (Ordinary Grade)** in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Delhi Prisons Staff Car Driver (Ordinary Grade), Recruitment Rules, 2023.

89/C

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay -** The number of the said posts, their classification and the level of pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualification etc., -** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications-** No Person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST	NUMBER OF POSTS	CLASSIFICATION	*LEVEL IN THE PAY MATRIX*	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Drivers, (Ordinary Grade)	18* (2022) 30% of total (58) sanctioned post.	Group "C"Non-Gazetted, Non-ministerial.	LEVEL 2 (Rs. 19900-Rs. 63200) in the PAY MATRIX.	Non-selection.	***18-25 years**** ***(Relaxable for government servants up to 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)*** *Note:-* The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/Competent Authority. *If Direct recruitment is to be made by 'direct open competitive examination the age limit would be 18-27 years.	***Essential:-*** *(I) Possession of a valid Driving License of Light Motor Vehicles,* *(ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle);* *(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years and* *(iv) Pass in 10^{th} standard.* **Desirable:-** Three years service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note2:** In the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION, (IF ANY).	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION /PROMOTION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIESTO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	02 years	By Promotion failing which by Direct Recruitment.	From amongst the regular employees of Delhi Prisons Department in Level-1 (Rs. 18000-56900 of the pay Matrix) (erstwhile Group-D) having Driving licence of Light Motor Vehicle in the office in which the vacancy arises. Subject to passing of the Trade test of appropriate standard to be conducted by Transport Department, GNCT of Delhi.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. Pr. Secretary / Secretary (Power)- Chairperson 2. Head of the Department concerned –Member 3. Dy. Secretary (Finance) - Member **Note**:- Senior most member of the departmental promotion/Confirmation committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the committee.	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA